

## परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग—नैनीसैण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.280 हे० सिविल वन भूमि, 0.350 हे० वन पंचायत भूमि, 5.320 हे० आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.500 हे० कुल भूमि 6.450 हे० सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

## सीमा—पिलरों पर होने वाले व्यय को वहन करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री की घोषणा में निर्माण हेतु सीमा—पिलरों पर व्यय होने वाली धनराशि वन विभाग द्वारा मांगी जायेगी, उसको प्रस्तावक विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर

सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर

अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर